

470

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

पाँवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,

बी-09, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवाररिया सराय-नई दिल्ली-110016

CMD - An mte

ED (CP)

Agm (CP) AM - plan
31/07/18

विषय:- मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पोषण खण्ड, 30प्र0 पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 फैजाबाद द्वारा कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मैंने अपनी कृषि भूमि पर खम्भे के लगने से हुये नुकसान के मुआवजे हेतु आपको पत्र प्रेषित किया था। जिस पर कार्यवाही करते हुये आपसे अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पोषण खण्ड, 30प्र0 पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 फैजाबाद की मेरे मुआवजे के सम्बन्ध में मेरे पत्र के निस्तारण हेतु आदेश दिया था। जिसके पश्चात् मुझे अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद द्वारा पत्रांक संख्या-763/वि0क्षे0 ख0फै0/जनसूचना दिनांक 03.07.2018 के द्वारा मुआवजे हेतु आवश्यक प्रपत्र प्रेषित करने हेतु आदेश दिया गया था।

मुझे बड़े दुःख के साथ आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि मेरे द्वारा जुलाई माह में ही सारे आवश्यक प्रपत्र दिनांक 12.07.2018 स्पीड-पोस्ट नं0-EU606415991IN को भेजने के पश्चात भी आज तक न तो मुझे मुआवजा मिल सका और न ही कोई पत्र आया।

अत आपसे निवेदन है कि मेरे मुआवजे का यथाशीघ्र भुगतान हेतु आप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पोषण खण्ड 30प्र0 पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 फैजाबाद-224001 को आदेशित करने की कृपा करें।

संलग्नक:

1. अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुझे प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(श्रीमती ताश देवी)

पत्नी श्री रामकुमार वर्मा

6/997, विकास नगर, लखनऊ-226022

प्रतिलिपि-

- 1- अधिशासी अभियन्ता विद्युत पोषण खण्ड 30प्र0 पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 फैजाबाद-224001

NIL-3

विद्युत अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत पारेषण खण्ड,
उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
फैजाबाद- 224001
फोन नं० 05278-223710



Office Of The Executive Engineer,
Electricity Transmission Division,
U.P. Power Transmission Corporation Ltd.
Faizabad. 224001
Phone- 05278-223710
E-Mail-eeetdfzb@upptcl.org

पत्रांक 763 / वि०प्र०ख०फै० / जनसूचना

दिनांक 3 / 7 / 2018

विषय:- श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री राम कुमार वर्मा, निवासिनी 6/1997 विकास नगर, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री राम कुमार वर्मा,
6/1997, विकास नगर,

लखनऊ - 226022

मो०- 9415993328

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित दिनांक 27.01.2017 को स्पीड-पोस्ट संख्या **EU512189449IN** जो कि प्रबंधक, निदेशक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी-09, कुतुब इन्टीट्यूशनल एरिया कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 को दिये गये प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रेषित की जा रही है।

1. आपके दिनांक 27.01.2017 को स्पीड-पोस्ट संख्या **EU512189449IN** भेजी गयी डाक पावर ग्रिड कार्यालय में प्राप्त हुई होगी, यह प्रश्न हमारे कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2. पत्र पावर ग्रिड कार्यालय से प्राप्त हुआ है, उन्होंने हमारे मुख्यालय को प्रेषित किया गया पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद में दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त हुआ था, जिसमें 400 के०वी० लाइन का जिक्र था, जो कि 400 के०वी० लाइन हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 692 दिनांक 21.06.2018 द्वारा पारेषण मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया कि उपरोक्त लाइन हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है।

पुनः पारेषण मुख्यालय के पत्र संख्या 250 ज०सू०अ० (पारेषण मुख्यालय/आर०टी०आई०) दिनांक 26.06.2018 के द्वारा प्रेषित पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें पुष्टि की गयी कि यह लाइन 400 के०वी० की नहीं है 220 के०वी० की है तथा यह लाइन विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद से सम्बन्धित है।

3. भारत सरकार के अधिनियम के तहत यू०पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत/आपूर्ति के अधिनियम 1948 अनु-42 अद्यतन संशोधित के साथ प्रतिष्ठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985-जुन० 10 से 13 में निहित प्रावधानानुसार किसी भी किसान के खेत में टावर लगाकर हाई बोल्टेज लाइन ले जाना कानूनी तौर पर सही है, तथा पूर्व में किसान से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। चूंकि लाइन का निर्माण होते समय आपने खसरा-खतौनी नहीं उपलब्ध कराया। इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिल सका।

कृपया पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर खसरा-खतौनी, बैक खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड उपलब्ध करा दे तथा निर्धारित फार्म भरकर प्रेषित करें, ताकि आपको मुआवजा दिया जा सके। फार्म प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आपको मुआवजा प्राप्त करा दिया जायेगा।

(डी०सी० दीक्षित)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक _____ / वि०प्र०ख०फै० / तददिनांक 3 / 7 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता एवं जन सूचना अधिकारी (ट्रांसमिशन मुख्यालय), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार, 11वां तल, कमरा नं० 1130, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. उपखण्ड अधिकारी (चतुर्थ), विद्युत पारेषण उपखण्ड, टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

(डी०सी० दीक्षित)
अधिशासी अभियन्ता



उदरण खतौनी

उदरण क्रमांक : 1669722017111

गाम क्रमांक : 166972	गाम का नाम / पराना : कनौडा(टाण्डा)	तहसील : टाण्डा	बनपद : अन्न संकरानगर	फसली वर्ष : 1420-1425	भाग : 1		
खता खतौनी क्रम संख्या	खतदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खतों के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
00088	श्रीमती तारावती / रामकुमार / नि.रती पठमसिनत0 फैजाबाद	1382फ 1382फ	74 75	0.9070 0.0310			
कुल गाटे- दो	कुल क्षेत्रफल- शत दशमलव त्रै दश अंश (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - तीन अंश दशमलव शत शत रुपये	2	0.9380	₹ 38.00	0	0

Data Digitally Signed by: SHIVA PARSAN PAL



उपरोक्त उदरण खतौनी का वेबकिशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सहस्र अधिकारी: SATYAM SINGH
तहसील: टाण्डा बनपद: अन्न संकरानगर

दिनांक एवं समय: 29-11-2017 07:58:58

यदि उदरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक हिलीवरी सिस्टम द्वारा देया की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भारतीय डाक



India Post

SF MAHANGAR PD <224006>

GSIN No: 07AAAG0300C1Z

ELI606415991LN

Counter No:1,DP-Code:006

To:ADHI ABHIYANTA VIDYUT,PAIGHAN KHIND LP F

FALZAWAD, PIN:224001

From:SHI TARA VERMA , LK022

Wt:200grams, .12/07/2018 .10:36

PS:5.00,Amts:34.00

.CGST @9% 3 .SEST @9% 3:00

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक



India Post